संख्या-269/2018/2435/22-2-2017-17(749)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 मार्च, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दांते फैरिनेलो कारडोसो पुत्र श्री दांते पेरेटो, निवासी, जनपद-सिटी ब्राजील (ब्राजील) की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33908/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक -15-09-2017 दिनांक 18-09-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी दांते फैरिनेलो कारडोसो पुत्र श्री दांते पेरेटो, निवासी-साओपोलो, जनपद-सिटी ब्राजील (ब्राजील) का रहने वाला है। बन्दी द्वारा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर भारत में निवास करने के अपराध में दिनांक 11.09.2014 को जेल भेजा गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को मु0 संख्या-4680/14 व मु0अ0सं0-897/14 में भा0द0वि0 की धारा-420, 467, 468, 471 तथा धारा-14, विदेशी विषयक अधिनियम-1946 के अन्तर्गत मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज के आदेश दिनांक 28.08.2015 द्वारा 05 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा योजित मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0) महराजगंज में क्रि0 अपील सं0-61/2015 में पारित आदेश दिनांक 10.12.2015 तत्पश्चात मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित क्रि0 रिवीजन सं0-84/2016 में पारित आदेश दिनांक 31.05.2016 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज द्वारा दिये गये दण्ड को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.06.2017 तक 02 वर्ष 08 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 02 वर्ष 11 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में स्पष्ट संस्तुति नहीं की गयी है तथा दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति व आयु तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी दांते फैरिनेलो कारडोसो (बन्दी संख्या-338/2016) पुत्र श्री दांते पेरेटो, निवासी जनपद-सिटी ब्राजील (ब्राजील) की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-269/2018/2435(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in